

अ0मु0न्या0दं0-प्रथम
बिरौल थाना कांड सं0- 41/2018
जी0आर0 सं0- 89/2018
दिनांक- 20.07.2026
रामाशीष सिंह बनाम सोहन सहनी बैगरह

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिरौल, दरभंगा
G.R. Case No. - 89/2018
Biraul P.S. Case No. 41/18

20.07.2026

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अभिलेख में घटना के संबंध में थानाध्यक्ष बिरौल के द्वारा आजतक आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया है तथा निकट भविष्य में आरोप पत्र समर्पित होने की संभावना प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशानुसार पुराने वादों को यथाशीघ्र निष्पादित करना है। प्रस्तुत वाद काफी पुराना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है। भविष्य में थानाध्यक्ष बिरौल के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित की जाती है तो वाद में अग्रिम कारवाई पुनः शुरू की जायेगी। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम
बिरौल, दरभंगा
20.07.2026